न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 11/2011

1. श्री रामेश्वर
2. श्री रामलाल

पुत्रगण श्री किशनलाल, जाति जाट, निवासीगण ग्राम ताजपुरा तहसील सरवाड, जिला अजमेर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती रेखा पत्नी दिनेशचन्द्र
2. श्रीमती दुर्गा पत्नी चन्द्रप्रकाश

दोनों जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गुन्दाली तहसील सरवाड, जिला अजमेर।

3. राजस्थान सरकार

अप्रार्थीगण

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :–

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री हेमराज गुप्ता, वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से।
3. श्री शुभकरण सिंह चौधरी सरकारी वकील

–: आदेश :–

दिनांक 9.10.2015

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 31.12.2010 को ग्राम पंचायत मुख्यालय रामपाली व भगवानपुरा में आयोजित "प्रशासन गांव के संग शिविर 2010" में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर श्रीमति रेखा पत्नी श्री दिनेशचन्द्र व श्रीमती दुर्गा पत्नी श्री चन्द्रप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गुन्दाली तहसील सरवाड, जिला अजमेर के पक्ष में ग्राम ताजपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 580 रकबा 6 बीघा भूमि का नियमन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किये गये विवादित भूमि के नियमन से व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का नियमन न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

कि प्रार्थीगण ग्राम ताजपुरा स्थित विवादित खसरा नम्बर 580 में से रकबा 3 बीघा भूमि पर काफी लम्बे समय से काबिज काश्त है। इस तथ्य की पुष्टि पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 10.12.2009 से होती है। अप्रार्थीगण सद्भाविक कृषक नहीं है। नियम – 11 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण भूमि नियमन करवाने का पात्र नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 के पति का ग्राम गुन्दाली में पशु आहार का व्यवसाय है इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 राजकीय सेवा में कार्यरत है। अप्रार्थीगण घरेलू महिलायें है जिन्होंने कभी भी कृषि कार्य नहीं किया है। वकील प्रार्थीगण का आगे कथन है कि अप्रार्थीगण के पक्ष में विवादित भूमि नियमन से पूर्व न तो आवंटन नियम 1970 के नियम 4, 7, 11, 12 व 13 की कोई पालना की गई है व न ही आवंटन प्रार्थना पत्र की कोई जांच की गई है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भूमि नियमन से पूर्व अनओक्यूपाइड भूमि की सूचि तैयार नहीं की तथा न ही उद्घोषणा जारी की गई है। विवादित भूमि का नियमन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया गया है जबकि नियम 8 (1) के अनुसार पति व पत्नी के नाम संयुक्त रूप से होना आवश्यक है। वकील प्रार्थीगण ने अपने बहस जारी रखते हुये आगे कथन किया कि अप्रार्थीगण भूमिहीन कृषक नहीं है बल्कि उनके परिवार में पूर्व से ही लगभग 70–80 बीघा भूमि खातेदारी में दर्ज है। इस तथ्य की जांच भी नहीं की गई। इसके अतिरिक्त खसरा नम्बर 580 में से 3 बीघा पर प्रार्थीगण का कब्जा है इसके बावजूद अप्रार्थीगण के पक्ष में नियम विरूद्ध 6 बीघा भूमि का नियमन गैर कानूनी रूप से किया गया। वकील प्रार्थीगण का यह भी कथन है कि विवादित भूमि पर अतिक्रमण प्रार्थीगण का होने के बावजूद तहसीलदार द्वारा अप्रार्थीगण को धारा 91 का नोटिस जारी कर दिया जिससे असंतुष्ट होकर प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार सरवाड से प्रकरण अन्य न्यायालय को स्थानान्तरित करवाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। विवादित भूमि को प्रार्थीगण के पक्ष में आवंटन करने बाबत उन्होंने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण के पक्ष में भूमि नियमन नहीं करने बाबत निवेदन किया, किन्तु उनके निवेदन पर कोई विचार न कर सरसरी तौर पर विपक्षी को नियमन करने में आवंटन सलाहकार समिति ने गैर कानूनी तौर पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को संयुक्त नियमन करने का आदेश दिया जो नियमों के विपरीत है। वकील प्रार्थीगण का यह भी कथन है कि पटवारी हल्का द्वारा नियमन प्रार्थना पत्र में गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का नाम अंकित किया है, किन्तु प्रभारी अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसमें किसी भी व्यक्ति का नाम दर्ज न होकर स्थान रिक्त है। दो अलग–अलग व्यक्तियों को संयुक्त रूप से भूमि आवंटन/नियमन करने का कोई अधिकार नियमन कमेटी को नहीं है। प्रार्थीगण के पक्ष में नियमन की गई भूमि की किस्म गैर मुमकिन छापर है जो पशुओं की चराई के काम में आती है ऐसी भूमि का आवंटन/नियमन काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में प्रतिबंधित हैं अन्त में उन्होंने कथन किया कि अप्रार्थीगण ग्राम ताजपुरा में निवास नहीं होकर ग्राम गुन्दाली के निवासी है तथा वर्तमान में तहसील सरवाड़ में निवास कर रहे है जबकि प्रार्थीगण ग्राम ताजपुरा के निवासी है तथा प्राथमिकता के तौर पर भूमि नियमन के अधिकारी है। अतः अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का नियमन निरस्त किया जावें।

विद्वान वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

कथन गलत एवं मनगढंत है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में विवादित भूमि का नियमन आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया पश्चात पुराने कब्जे काश्त के आधार पर नियमानुसार किया है। प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि विवादित भूमि पर उनका लम्बे समय से कब्जाकाश्त है, अपने कथन के समर्थन में उनके द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल मात्र पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 10.12.2009 के अनुसार कब्जा काश्त होने का कथन किया गया है। उक्त रिपोर्ट एकतरफा है जो साक्ष्य के रूप में ग्रहण नहीं की जा सकती तथा न ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। वकील अप्रार्थीगण ने आगे कथन किया कि विवादित भूमि का नियमन कब्जे के आधार पर किया गया है जिसके लिए उद्घोषणा जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। प्रार्थीगण का यह कथन भी गलत है कि महिला को भूमि आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता। इस संबंध में उन्होंने कथन किया कि भूमि उनके द्वारा काश्त नहीं की जाती तो उन्हें नोटिस नहीं दिया जाता तथा न ही खसरा गिरदावरी में उनके नाम काश्त दर्ज होती। प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि आवंटन कमेटी के समक्ष उनके द्वारा विवादित भूमि के नियमन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने न तो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया न ही वे वादग्रस्त आराजी के संबंध में किसी भी प्रकार से पात्रता रखते है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को विधिवत रूप से नियमन किया गया है। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस जारी रखते हुये आगे कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का विवादित भूमि पर खसरा परिवर्तनशील के अनुसार संवत् 2050, 2062, 2064, 2065, 2066 व 2067 में अतिक्रमण होना साबित होने के कारण राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.6(7) राज–6/77/2 जयपुर दिनांक 11.01.2008 के परिपेक्ष्य में आंवटन सलाहकार समिति द्वारा नियमन किया गया है जो विधि सम्मत है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन/नियमन हेतु प्राप्त समस्त प्रार्थना पत्रों को दर्ज रजिस्टर करने के पश्चात् समस्त प्रकरणों का विधिक परीक्षण किया जाकर कार्यवाही विवरण रजिस्टर में प्रत्येक प्रकरण में लिये गये निर्णय का अंकन करने के पश्चात् आवंटन/नियमन योग्य पाये गये प्रकरणों के संबंध में प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सरवाड के आदेश से किया गया है जो विधिक प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर उनके पक्ष में किया गया विवादित भूमि का नियमन यथा रखा जावें।

पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में समस्त गलत तथ्य अंकित किये गये है। अपने कथनों के समर्थन में उन्होंने कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुंत नहीं की है। जिससे उनके कथनों की प्रमाणिकता स्पष्ट होती हो। भूमिहीन की पात्रता की परिभाषा धारा 3 (ख) में अंकित की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पति के व्यवसाय के बारे में कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में विवादित भूमि का नियमन विधिवत रूप से किया गया है। प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावें।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर पूर्ण जांच पश्चात आवंटन पुराने कब्जे काश्त के आधार

अपर जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

पर किया गया है जो खसरा गिरदावरी सवंत् 2050, 2051, 2062, 2064–66 के अवलोकन से स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त पुराने कब्जे काश्त की पुष्टि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्व की गई धारा 91 की कार्यवाहियों से भी होती है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि नियमन आदेश में नियमन किन व्यक्तियों को किया गया है उक्त स्थान रिक्त है। प्रार्थी का यह कथन भी मानने योग्य नहीं है कि नियमन से पूर्व आवंटन नियम 1970 के नियम 4, 7, 11, 12, 13 की पालना नहीं की गई है। अपने उक्त कथन के समर्थन में उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पति का व्यवसाय/राजकीय सेवा में होने बाबत कोई साक्ष्य रेकार्ड पर उजागर नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी का यह कथन भी गलत है कि महिला के पक्ष में भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता। 1970 के नियमों में महिला के पक्ष में कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन बाबत कोई प्रतिबंध नहीं है। साथ ही प्रार्थी के स्वयं के कथनों में विरोधाभास है एक ओर तो उनका कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 सदभावी कृषक नहीं होकर घरेलू महिलायें है वहीं दूसरी ओर उनका कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 भूमिहीन कृषक नहीं है उनके नाम पूर्व में ही लगभग 70–80 बीघा कृषि भूमि खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में समस्त कथन गलत व निराधार अंकित किये गये है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन एवं भारहीन होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 09.10.2015 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner